न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—218/2018/225 (2018/00218)

1. श्रीमती छोटी देवी पत्नि खंगारा (नाम तर्क)
2. रूकमा देवी पुत्री खंगारा (मृतक) जरिये वारिसानः—
   2/1— छगनसिंह पति रूकमा,
   2/2— विक्रमसिंह पुत्र छगनसिंह,
   2/3— कैलाशसिंह पुत्र छगनसिंह,
   2/4— मुकेशसिंह पुत्र छगनसिंह,
   2/5— श्रीमती किर्ती पुत्री छगनसिंह,
3. श्रीमती राधा देवी पुत्री खंगारा,
4. शंकरसिंह पुत्र खंगारा,
5. श्रीमती सीता देवी पुत्री खंगारा,
6. लक्ष्मणसिंह पुत्र खंगारा,
7. श्रीमती विश्रामी देवी पत्नि बीरमसिंह,
8. पिंकी पुत्री बीरमसिंह,
9. रिंकी पुत्री बीरमसिंह,
10. मनीषा पुत्री बीरमसिंह,
11. दीपक पुत्र बीरमसिंह,
12. समीर पुत्र बीरमसिंह,

अपीलांट संख्या 10, 11 व 12 नाबालिगान जरिये सरंक्षक माता श्रीमती विश्रामी देवी पत्नि बीरमसिंह,
समस्त जाति रावत, निवासी ग्राम हाथीखेड़ा, तहसील व जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. बंशीलाल पुत्र मोहनदास, जाति सिंधी रामनानी, निवासी हाथीखेड़ा, (मृतक) जरिये वारिसानः—
   1/1— श्रीमती प्रिया पत्नि स्व0 बंशीलाल,
   1/2— राहुल पुत्र स्व0 बंशीलाल,
   1/3— पुनीत पुत्र स्व0 बंशीलाल,
   1/4— माया पुत्री स्व0 बंशीलाल,
   1/5— सीमा पुत्री स्व0 बंशीलाल,
   समस्त जाति सिन्धी रामनानी, निवासी ग्राम हाथीखेड़ा, तहसील व जिला अजमेर ।

असल रेस्पोडेंटस

2. भंवरी पत्नि अन्ना,
3. श्रवण पुत्र अन्ना,
4. महावीर पुत्र अन्ना,
5. तीजी पुत्री अन्ना पत्नि तेजा, जाति रावत, निवासी ग्राम नेडलिया, तह0 पुष्कर, जिला अजमेर ।
6. चौथी पुत्री अन्ना पत्नि मंगलसिंह, जाति रावत, निवासी ग्राम बडलिया, तहसील् व जिला अजमेर ।
7. शान्ति पुत्री अन्ना पत्नि नानूसिंह, जाति रावत, निवासी नया गांव कास्या, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर ।
8. सुनिता पुत्री अन्ना पत्नि गोपालसिंह, जाति रावत, निवासी भवानीखेड़ा, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर ।

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर ।

तरतीबी रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर दिनांक 16.7.2018 अंतर्गत प्रकरण संख्या 97/2012.

उपस्थितः–

1. श्री अजीतसिंह राठौड़, वकील अपीलांटस ।
2. श्री जयपाल चावला, वकील रेस्पो0 संख्या 1/1 से 1/5.
3. श्री अविनाश शर्मा, वकील रेस्पो0 संख्या 2 व 3.
4. श्री शोकिन्दलाल गुर्जर, वकील रेस्पो0 संख्या 5 व 6
5. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 9.

निर्णय

दिनांकः– 17.11.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के निर्णय दिनांक 16.7.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।

2. वादीगण/अपीलांटस के पूर्वज खंगारा द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष राजस्व वाद राज0काश्त0अधि0 पेश कर कथन किया कि वादी की खातेदारी काश्तकारी की आराजियात वर्किंग खसरा नंबर 1421 रकबा 00–12–10 बीघा एवं खसरा नंबर 1654 रकबा 0–17–00 बीघा ग्राम हाथीखेड़ा तहसील व जिला अजमेर में अवस्थित है जिसमें से प्रफोर्मा रेस्पो0 के पिता अन्ना पुत्र भोला द्वारा खसरा नंबर 1421 में से कुछ भाग का बेचान लगभग वाद प्रस्तुति के 27 वर्ष पूर्व रेस्पो0 संख्या 1 को किया गया था जिस पर रेस्पो0 संख्या 1 के मकान एवं पोल्ट्रीफार्म बने हुए है एवं शेष आराजियात पर प्रफोर्मा रेस्पो0 काबिज है तथा खसरा नंबर 1654 रकबा 0–17–00 बीघा आज भी वादी के पास है एवं अपीलांटस काबिज काश्त चले आ रहे है लेकिन रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा अपीलांटस के पूर्वज खंगारा एवं उनके भाई अन्ना के अनपढ़ होने का नाजायज फायदा उठाते हुए कूटरचित दस्तावेज तैयार करवा लिया और खसरा नंबर 1421 का जो आंशिक भाग लगभग 7 बिस्वा रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा क्रय किया गया था के साथ–साथ विक्रय पत्र जो दिनांक 2.4.1985 को निष्पादित किया गया था जिस समय वर्किंग जमाबंदी प्रभाव में आ चुकी थी लेकिन चौसाला खसरा नंबर 1216/2 रकबा 0–18–10 बीघा तथा 1216/1 रकबा 0–2–10 बीघा एवं खसरा नंबर 1144 रकबा 0–7–00 बीघा सभी अंकित करवा लिये जबकि वर्किंग खसरा नंबर 1654 रकबा 0–17–00 बीघा की प्रतिफल राशि न तो रेस्पो0 संख्या 1 से प्राप्त की गई थी एव ना ही रेस्पो0 संख्या 1 को कब्जा ही प्रदान किया था बल्कि उक्त आराजियात पर पूर्व में खंगारा तत्पश्चात् अपीलांटस ही काबिज काश्त चले आ रहे है । इसी कारण वर्किंग जमाबदी में भी खंगारा का नाम ही बहैसियत खातेदार दर्ज रहा लेकिन तथाकथित विक्रय पत्र की आड़ में खंगारा तत्पश्चात् अपीलांटस को जब रेस्पो0 संख्या 1 दिनांक 30.4.2012 को बेदखल करने पर आमादा हुए तब वाद कारण उत्पन्न होने से वाद प्रस्तुत किया गया । दौराने वाद दिनांक 11.7.2013 को खंगारा पुत्र भोला का स्वर्गवास हो गया तत्पश्चात् दिनांक 15.10.2013 को बीरम पुत्र खंगारा का स्वर्गवास हो गया जिससे उनके वारिसान द्वारा अभिभाषक से

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

संपर्क नहीं किया जा सका तत्पश्चात् दिनांक 21.1.2014 को खंगारा एवं बीरम के वारिसान को रिकार्ड पर लेने हेतु अभिभाषक वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 3 जा0दी0 मय मियाद प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये । तत्पश्चात् उक्त पत्रावली पूर्व अभिभाषक के बजाय नव नियुक्त अभिभाषक को प्रदान की गई तब जानकारी हुई कि अबेटमेंट सेट–असाईट करने हेतु कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है तत्पश्चात् दिनांक 24.11.2017 को प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3, 9 सपठित धारा 151 जा0दी0 मय धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर मृतक खंगारा व बीरम के वारिसान को रिकार्ड पर लेने का निवेदन किया । अधी0न्याया0 ने उक्त प्रार्थना पत्र पर बहस सुनकर दिनांक 16.7.2018 को निर्णय पारित कर वादपत्र अबेट होना मानते हुए निरस्त कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने पर उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांटस ने अपील के विचाराधीन रहते प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 व 152 एल0आर0एक्ट पेश कर कथन किया कि उपरोक्त अपील डिक्री टी0ए0 के संख्या 219/2018 सही है, लेकिन सहवन से समस्त फर्द अहकाम में त्रुटिपूर्ण अपील संख्या 218/2018 के स्थान पर 210/2018 का अंकन हो गया है जिसे 210/2018 के स्थान पर 218/2010 किया जाना न्यायोचित है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील पत्रावली की आदेशिका में त्रुटिपूर्ण अंकन 210/2018 के स्थान पर 218/2018 किया जाकर दुरूस्त किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांटस ने प्रकरण में गुणावगुण पर बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय, नियम एवं विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । वादी खंगारा का दिनांक 11.7.2013 को स्वर्गवास हुआ तत्पश्चात् उसके पुत्र बीरम पुत्र खंगारा का दिनांक 15.10.2013 को स्वर्गवास हो गया जिससे समस्त परिवारजन शोक में रहने के कारण अभिभाषक से समय पर नहीं मिल पाये ना ही अपीलांटस को जानकारी थी कि मृत्यु के बाद कायम मुकाम की कार्यवाही निश्चित अवधि में की जाती है जिससे दिनांक 21.1.2014 को जब अभिभाषक से मिले तब उन्हें पिता–पुत्र की मृत्यु बाबत् सूचना दी गई जिनके द्वारा दिनांक 21.1.2014 को ही प्रार्थना पत्र बाबत् कायम–मुकाम मय मियाद प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया लेकिन उसके साथ अबेटमेंट सेटअसाईट करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण नव नियुक्त अभिभाषक द्वारा दिनांक 24.11.2017 को पुनः नया प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3, 9 सपठित धारा 151 जा0दी0 मय धारा 5 मियाद अधि0 मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया कि उपरोक्त कारणों से कायम मुकाम प्रार्थना पत्र प्रस्तुति में लगा समय क्षमा किया जावे एवं अबेटमेंट होना माने जावे तो अबेटमेंट सेटअसाईट माने एवं उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 24.11.2017 को पूर्व प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 21.1.2014 से ही प्रस्तुतिकरण माना जावे लेकिन उक्त महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दुओं को पर अधी0न्याया0 द्वारा कोई निर्णय पारित नहीं किया गया एव ना ही प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों बाबत् पूर्ण विवेचन किया गया वरन् फौरी तौर पर आदेश पारित कर वाद खारिज किया है जो विधिविरूद्ध होकर निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 द्वारा अपने निर्णय में यह अंकित किया है कि बीरम पुत्र खंगारा का स्वर्गवास दिनांक 15.10.2013 को होने की सूचना आवेदन पत्र में प्रस्तुत की परन्तु वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वादी खंगारा के स्वर्गवास की तारीख, माह अंकित नहीं की गई जबकि दिनांक 21.1.2014 को प्रस्तुत कायम मुकाम के प्रार्थना पत्र के संलग्न प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र के पैरा

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

संख्या 2 में खंगारा का स्वर्गवास दिनांक 11.7.2013 को होना तथा खंगारा के पुत्र बीरम का स्वर्गवास दिनांक 15.10.2013 को होना स्पष्ट अंकित किया है । अधी0न्याया0 ने इसे नजरअंदाज कर प्रार्थना पत्र खारिज करने में त्रुटि कारित की है । कायम मुकाम की कार्यवाही हेतु 90 दिवस का समय निर्धारित है तत्पश्चात् वादपत्र स्वतः अबैअ हो जाता है जिसे सेटअसाईट करवाने हेतु 60 दिवस का अतिरिक्त समय प्रावधित है । ऐसी स्थिति में उक्त 150 दिवस का समय निर्धारित होने से खंगारा का प्रार्थना पत्रप् मृत्यु दिनांक 11.7.2013 से दिनांक 21.1.2014 तक में 150 दिवस समायोजित करने पर मात्र 40 योम का समय शेष रहता है तथा बीरम का स्वर्गवास दिनांक 15.10.2013 को होने से कायम मुकाम प्रार्थना पत्र मात्र 6 दिन मियाद बाहर था जिस हेतु भी अबेटमेंट सेटअसाईट करने हेतु दिनांक 24.11.2017 को निर्णय पारित करने से पूर्व प्रस्तुत किया जा चुका था । अपीलांटस में से अधिकतर अशिक्षित एवं कम पढ़े लिखे है जिन्हें कायम मुकाम कार्यवाही एवं मियाद कानून बाबत् कोई जानकारी नही है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय निरस्त किया जाकर गुणावगुण पर निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अधी0न्याया0 को रिमाण्ड किया जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1/1 से 1/5 ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत् है । अपीलांटस ने खंगारा का स्वर्गवास दिनांक 11.7.2013 को तथा बीरम का स्वर्गवास दिनांक 15.10.2013 को होना अंकित किया है किन्तु वादीगण द्वारा कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था । खंगारा के स्वर्गवास की सूचना प्रतिवादी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा दिनांक 22.2.2014 को अधी0न्याया0 को प्रस्तुत कर दिया था के अनुसार भी आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम जा0दी0 जो कि दिनांक 21.1.2014 को मियाद बाहर पेश किया गया था तथा इस आवेदन पत्र के साथ अबेटमेंट सेटअसाईट के संदर्भ में आवेदन पत्र पेश नहीं किया बल्कि उक्त आवेदन पत्र दिनांक 27.11.2017 को पेश किया जो मियाद बाहर पेश किया है । वादीगण द्वारा मृतक व्यक्तियों के वारिसान को रिकार्ड पर लेने का प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 जा0दी0 90 दिवस की अवधि बाहर पेश किया है जो मियाद बाहर पेश किये जाने से वाद स्वतः ही अबेट हो गया था । अधी0न्याया0 ने विधिसम्मत् रूप से वाद अबेटमेंट के आधार पर खारिज किया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांटस खारिज की जावे । विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1/1 से 1/5 ने फर्द के साथ माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग, अजमेर के दीवानी वादपत्र प्रकरण संख्या 01/2017 एवं उक्त वाद में पारित आदेश दिनांक 8.5.2019 एवं आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के प्रार्थना पत्र की प्रति तथा न्यायिक दृष्टांत डब्ल्यू0एल0सी0 2009 पेज 394 पेश किया ।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 151 व 152 जा0दी0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांटस द्वारा अपील दिनांक 1.8.2018 को पेश किये जाने पर अपील दर्ज रजिस्टर के क्रमांक 2018/00218 पर दर्ज की गई है किन्तु तत्पश्चात् लिपिकीय त्रुटिवश अपील की आदेशिकाओं में अपील संख्या 2018/00218 के स्थान पर अपील संख्या 2018/00210 अंकित किया है जो सद्भाविक लिपिकीय त्रुटि है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 151 व 152 जा0दी0 स्वीकार कर अपील संख्या 2018/00210 के स्थान पर अपील संख्या 2018/00218 अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते है ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधी0न्याया0 के समक्ष वादी खंगारा पुत्र भोला द्वारा वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजियात वादी की पुश्तैनी खातेदारी काश्तकारी की वाकै ग्राम हाथीखेड़, तहसील अजमेर में स्थित है जिसके खाता संख्या 6/6 खसरा नंबर 1421 रकबा 00–12–10 एवं 48/50 खसरा नंबर 1654 रकबा 00–17–00 बीघा है । उपरोक्त आराजियात में वादी का खसरा नंबर 1654 है तथा प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 2 से 8 के पिता अन्ना वल्द भोला के नाम खसरा नंबर 1421 है । प्रतिवादी संख्या 2 से 8 के पिता द्वारा करीबन 27 वर्ष पूर्व खसरा नंबर 1421 में से कुछ भाग का बेचान प्रतिवादी संख्या 1 को किया गया था जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा मकान व पोल्ट्री फार्म बना रखे है तथा खसरा नंबर 1654 आज भी वादी के पास है जिस पर वादी काबिज काश्त है किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी के अनपढ़ होने का फायदा उठाते हुए कूटरचित दस्तावेज वादी की खातेदारी भूमि बाबत् तैयार करवा लिये जबकि प्रतिवादी संख्या 1 को 27 वर्ष पूर्व खसरा नंबर 1421 का ही बेचान किया गया था । उक्त कूटरचित दस्तावेजात के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 वादी के कब्जे काश्त में दखलदांजी कर रहा है तथा बेदखल करने की धमकिया दे रहा है । अतः प्रतिवादी संख्या 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा कोई कूटरचित दस्तावेज तैयार किए गये हो तो उसे निष्क्रीय करने के आदेश प्रदान करावे ।

9. प्रतिवादी ने अधी0न्याया0 के समक्ष उपस्थित होकर जवाबदावा पेश कर कथन किया कि वादी स्वंय खंगारा एवं प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 2 से 8 के पति एवं पिता अन्नासिंह पुत्र भोला द्वारा ग्राम हाथीखेड़ा तहसील व जिला अजमेर द्वारा पंजीबद्ध बैनामा दिनांक 2.4.1985 से चौसाला खसरा नंबर 1216/2 रकबा 0–18–10, चौसाला खसरा नंबर 1216/1 रकबा 0–2–10 तथा चौसाला खसरा नंबर 1144 रकबा 0–7–00 की भूमि एवं चाह खसरा नंबर 1149 के आबपासी के अधिकारों के सहित प्रतिवादी संख्या 1 को बैचान कर कब्जा संभला दिया था । चौसाला खसरा नंबर 1216 के वर्किंग खसरा नंबर 1653 रकबा 0–17–00, खसरा नंबर 1654 रकबा 0–7–00 एवं खसरा नंबर 1656 रकबा 0–3–10 बने है तथा चौसाला खरा नंबर 1144 के वर्किंग खसरा नंबर 1550 रकबा 0–6–00 एवं खसरा नंबर 1551 रकबा 0–1–0 बने है । तत्पश्चात् वर्किंग खसरा नंबर 1550 के आधार खसरा नंबर 1310 रकबा 0.05 है0 एवं वर्किंग खसरा नंबर 1654 के आधार खसरा नंबर 1375 रकबा 0.13 है0 बने है। वादी एवं प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 2 से 8 के पिता अन्नासिंह द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के को उिदनांक 2.4.1985 को बैचान की गई भूमि के संदर्भ में सैटलमेंट विभाग द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में पंजीबद्ध बैनामे के अनुसार परिशोधन क्रमांक 88, 89 व 90 दिनांक 24.10.1985 को प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में स्वीकृत किया गया है । वर्तमान आधार जमाबंदी सन् 2007 से 2026 की आधार जमाबंदी के अनुसार खाता नंबर 3 के आधार खसरा नंबर 310 रकबा 0.05 है0 एवं आधार खसरा संख्या 1375 रकबा 0.13 है0 की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 बंशीलाल के नाम खातेदारी दर्ज है ।

10. वाद के विचाराधीन रहते वादीगण के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 जा0दी0 मय धारा 5 मियाद अधि0 दिनांक 21.1.2014 को पेश कर वादी खंगारा के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया तथा यह भी कथन किया कि वादी के पुत्र बीरम पुत्र खंगारा की भी मृत्यु हो चुकी है जिसके वारिसान भी प्रार्थना पत्र मे वर्णित किये गये है जिन्हें भी रिकार्ड पर लिया जावे । प्रार्थना पत्र के साथ

संलग्न प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 में कथन किया कि वादी की दिनांक 11.7.2013 को मृत्यु हो चुकी थी किन्तु वादी की मृत्यु के पश्चात् दिनांक 15.10.2013 को वादी के पुत्र बीरमसिंह की भी मृत्यु हो गई थी जिससे उक्त प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 जा0दी0 समयावधि में प्रस्तुत नहीं किया जा सका था । अतः विलंब माफ किया जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे । तत्पश्चात् दिनांक 20.2.2014 को प्रतिवादीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि "वादपत्र मे खंगारा का स्वर्गवास हो चुका है जिसकी सूचना हेतु यह आवेदन पत्र पेश है । अतः वादी खंगारा के स्वर्गवास की सूचना के संदर्भ आवेदन पत्र को पत्रावली के रिकार्ड पर रखा जावे एवं वादी के वारिसान का आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर वादपत्र निरस्त किया जावे । " तत्पश्चात् अपीलांटस ने अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 9 सपठित धारा 151 जा0दी0 पेश कर कथन किया कि वादी खंगारा का दिनांक 11.7.2013 को एवं बीरम पुत्र खंगारा का दिनांक 15.10.2013 को स्वर्गवास हो गया जिसकी कायम मुकाम कार्यवाही हेतु दिनांक 21.1.2014 को प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 जा0दी0 मय मियाद अधि0 प्रस्तुत किया जा चुका है । कायम मुकाम प्रार्थना पत्र प्रस्तुति हेतु 90 योम की मियाद निर्धारित है तत्पश्चात् अबेटमेंट सेटअसाईट हेतु 60 योम निर्धारित है लेकिन माननीय न्यायालय के समक्ष कायम मुकाम प्रार्थना पत्र 150 दिवस पश्चात् पेश किया गया है। ऐसी स्थिति में यदि माननीय न्यायालय अबेटमेंट माने तो अबेटमेंट सेटअसाईट हेतु उक्त प्रार्थना पत्र सेवा में पेश है । अपीलांटस ने अपने अपील में अंकित किया है कि अपीलांटस कम पढ़े–लिखे है जिन्हें कानूनी जानकारी नहीं है । इसी कारण कायम मुकाम के प्रार्थना पत्र के साथ अबेटमेंट सेटअसाईट हेतु प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया जा सका था । अधी0न्याया0 ने निर्णय दिनांक 16.7.2018 द्वारा वादी/अपीलांटस का वाद अबेटमेंट के आधार पर उपसमित होने से खारिज करने के आदेश पारित किये है । दौराने बहस विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1/1 से 1/5 ने माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग, अजमेर के दीवानी वादपत्र प्रकरण संख्या 01/2017 एवं उक्त वाद में पारित आदेश दिनांक 8.5.2019 की प्रमाणित प्रति पेश की है । जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांटस/वादीगण द्वारा माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग–अजमेर के समक्ष दीवानी वाद संख्या 1/2017 श्रीमती छोटी व अन्य बनाम बंशीलाल व अन्य अंतर्गत आदेश 7 नियम 1 जा0दी0 वास्ते विक्रय पत्र निरस्तीकरण हेतु पेश किया था । उक्त वाद में प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 पेश कर कथन किया कि वादीगण द्वारा हस्तगत वाद प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 2.4.1985 को निरस्त किये जाने बाबत् प्रस्तुत किया गया है । उक्त विक्रय पत्र वादीगण के पिता पूर्वज खंगारासिंह एवं अन्नासिंह द्वारा विवादित सम्पति के संबंध में निष्पादित किया गया था जिसकी पूर्ण जानकारी उक्त विक्रेतागण एवं वादीगण को थी परन्तु वादीगण द्वारा उक्त पंजीकृत विक्रय पत्र को निरस्त किये जाने बाबत् जो वाद पेश किया है वह स्वंय वादीगण द्वारा वादपत्र के साथ पृथक से प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधि0 से बाधित होना प्रकट हो रहा है । अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद विधि द्वारा वर्जित होने से नामंजूर किये जाने योग्य है । माननीय सिविल न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 8.5.2019 द्वारा वादीगण/अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत सिविल वाद संख्या 1/2017 प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार कर खारिज किया है । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष वाद

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 2.4.1985 को निरस्त कराने तथा स्थायी निषेधाज्ञा हेतु पेश किया गया था वही दूसरी तरफ वादीगण/अपीलांटस द्वारा माननीय सिविल न्यायालय में दीवानी वाद संख्या 1/2017 पंजीकृत विक्रय पत्र को निरस्त कराने हेतु पेश किया गया है जो माननीय सिविल न्यायालय के निर्णय दिनांक 8.5.2019 द्वारा खारिज हो चुका है । इस प्रकार वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र प्रभावी है । यदि अपीलांटस/वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अबेटमेंट के आधार पर खारिज किया जाना विधिसम्मत् नहीं माना जावे तो भी प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र को निरस्तीकरण हेतु वादीगण द्वारा सक्षम सिविल न्यायालय में प्रस्तुत वाद खारिज होने से अपीलांटस/वादीगण द्वारा विक्रय पत्र के आधार पर प्रस्तुत हस्तगत वाद में कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं सकते है । अपीलांटस/वादीगण द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष वादी खंगारा एवं बीरम पुत्र खंगारा की मृत्यु उपरांत उसके कायम मुकाम की कार्यवाही समयावधि में नहीं किये जाने से अधी0न्याया0 ने वादीगण का वाद अबेटमेंट के आधार पर खारिज किया है जिसमें हमें कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है ।

11. उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री यथावत् रखे जाने योग्य पायी जाती है ।

12. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.7.2018 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

13. निर्णय आज दिनांक 17.11.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर